जीपीएस से जुड़ेंगे मदरसे

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

बरेली।

मदरसों में छात्रों की संख्या सहित अन्य मामलों में हो रही धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिये प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों की सत्यता परखने को सभी मदरसों को जीपीएस से जोड़ने का निर्देश जारी किया है मदरसों में छात्र और कर्मचारियों पर जीपीएस सर्विस के जरिये खास निगरानी रखने जा रही है।

शासनादेश से मचा हड़कम्प

बैंक अकाउंट खंगालने के बाद मिलेगी शिक्षकों को सेलरी

छात्र संख्या, हेराफेरी के मामले पर लगेगा अंकुश

यह ही नहीं बल्कि मदरसों से क्लास रूम के मैप, इमारत की तस्वीरें और अध्यापक के बैंक एकाउंट भी मांगे गये हैं और कर्मचारियों के आधार कार्ड की डिटेल सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के लिये भी कहा गया है शासन के इस फरमान के बाद कुछ मदरसा संचालकों में हडकम्प मच गया है। शासन स्तर से जारी शासनादेश जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजे गये हैं। इस पोर्टल की शुरूआत से विकास स्पर्धा, सरलीकरण और शिक्षा में सुधार लाने को किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नकली छात्रों और शिक्षकों की पहचान करना है सभी मदरसों के कर्मचारियों के बैंक एकाउंट भी जांचे जायेंगे, खातों की जांच के बाद ही शिक्षकों और कर्मचारियों को सैलरी दी जायेगी। मदरसों की जियो टैगिंग भी की जा रही है। उसके बाद मदरसों को एक कोड दिया जायेगा।

शासन से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी मदरसे सरकार की नई वेबसाइट पर 15 अक्टूबर तक रजिस्टर होने अनिवार्य हैं। पोर्टल पर मदरसों द्वारा दी गई जानकारी की जांच जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा की जायेगी। इसके बाद किसी भी डेटा में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

खास बात यह है कि वेबसाइट पर सभी जानकारी अपलोड करते वक्त बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि वेबसाइट पर संशोधन का कॉलम नहीं दिया गया है। मतलब एक बार जो भर गया उसे हटाना या मिटाना आसान नहीं होगा।

मौलाना शाहबुद्दीन ने इस बारे में बताया कि प्रदेश सरकार सिर्फ मदरसों को टारगेट कर नये-नये नियम लागू कर रही है जबकि कोई शासनादेश जारी किया गया है तो केवल मदरसों पर लागू न होकर माध्यमिक शिक्षा, हायर एजूकेशन व सभी शिक्षण संस्थानों पर सामान्य रूप से लागू किया जाना चाहिये। केवल मदरसों पर शिकंजा कसना यह दर्शाता है कि सरकार मदरसों को शक की नजर से देख रही है।